



आरएफपी संदर्भ सं: एचओ/जीएडी/डाक /2023/00488

रांची, झारखंड  
में पट्टा आधार  
पर कार्यालय परिसर के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

जारीकर्ता:

सामान्य प्रशासन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर,  
तीसरी-पांचवीं मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

<b>महत्वपूर्ण बोली विवरण</b>		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	14.06.2023
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	04.07.2023:1800 बजे
3.	वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि और समय	05.07.2023:1100 बजे
4.	बोली खोलने का स्थान	<b>पटना क्षेत्रीय कार्यालय,</b> राष्ट्रीय आवास बैंक फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स, हाई-टेक अस्पताल के सामने, सगुना मोड़, सगुना खगौल मेन रोड, दानापुर, पटना - 801503

- बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार तकनीकी बोलियां **5 जुलाई 2023** को या उसके बाद उपरोक्त पते पर खोली जाएंगी।
- इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण के मामले में, श्री मुनीश भूटानी, सहायक महाप्रबंधक से संपर्क नंबर: +91- 8130498078 एवं ईमेल: [munish.bhutani@nhb.org.in](mailto:munish.bhutani@nhb.org.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

नोट: -

- बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/जानकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

## रांची क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय के कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने के लिए विज्ञापन

### **भाग I (तकनीकी बोली)**

#### **1. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है एवं संसद के अधिनियम के तहत आवास वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है।

1.1 रा.आ.बैंक/बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)/क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय (आरआरओ) मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, रायपुर, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में है।

#### **2. आवश्यकता विवरण**

रांची में राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय के उद्देश्य से वाणिज्यिक संपत्ति के इच्छुक बोलीदाताओं (व्यक्तियों/संगठनों/संस्थानों) से मासिक लीज रेंट के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रस्तावित परिसर का आकार लगभग 1200 वर्गफीट का होगा (कालीन क्षेत्र)। कारपेट एरिया की परिभाषा अनुबंध-क के अनुसार होगी। बैंक के लिए कार्यालय परिसर के चयन के लिए निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

#### **पूर्वापेक्षित मानदंड**

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

#### **3. आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुतीकरण**

तकनीकी बोली कवर के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं:

क. पहचान प्रमाण के लिए केवाईसी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ मतदाता पहचान पत्र) और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (यदि लागू हो)।

ख. प्रस्तावित परिसर पर स्वामित्व के अधिकार को प्रमाणित करने वाले शीर्षक विलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियां  
ग. फर्श योजनाओं का एक सेट (अनुमोदित भवन योजना), प्रस्तावित परिसर के खंड, उन्नयन और साइट योजना विस्तृत आयाम, मुख्य पहुंच सड़क, दोनों तरफ सड़क, अगर सड़क की कोई चौड़ाई और आसन्न गुण आदि दिखाते हैं।

घ. दस्तावेजी प्रमाण कि प्रस्तावित परिसर वाणिज्यिक/बैंकिंग गतिविधि के दायरे में आता है।

ड. विभिन्न कोणों से ली गई परिसर की रंगीन तस्वीरों का एक सेट (आंतरिक / बाहरी)।

च. प्रमाण के रूप में आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावित परिसर उपरोक्त बिंदु 2 (आवश्यकता विवरण) में निर्धारित पूर्व शर्त के साथ-साथ वांछनीय मानदंड को पूरा करता है।

#### **4. पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौता**

रा.आ.बैंक और बोलीदाता के बीच एक "पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौता" पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी करार है। इस करार के तहत, बोलीदाता विनिर्दिष्ट तरीके से समनुदेशन पूरा करने हेतु रा.आ.बैंक से सहमत हैं। पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा के समझौते का प्रारूप **अनुबंध-ख** के अनुसार होगा।

4.1 इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री लव वर्मा और श्री हरे कृष्ण दास को सत्यनिष्ठा संधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है।

4.2 सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन हेतु प्रतिबंधों का निम्नलिखित सेट लागू किया जाएगा:

क. अनुबंधों का अस्वीकरण या नुकसान;

ख. बोली सुरक्षा और प्रदर्शन बांड / पीबीजी (यदि लागू हो) की जब्ती;

ग. प्रमुख और प्रतिस्पर्धी बोलीदाता को होने वाली क्षति के लिए देयता; और

घ. उचित समय के लिए रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता का बहिष्कार।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि पूरी कंपनी में आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु रिश्वत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कंपनी में आचार संहिता का पालन होना चाहिए।

4.3 बोलियों के मूल्यांकन और अंतिम रूप देने और सफल बोली लगाने वाले की पहचान के बाद, सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोली लगाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित समझौते का हिस्सा होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, प्रस्तुत बोली के संबंध में उक्त पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौते के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी कार्य/चूक के लिए पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौते उन पर बाध्यकारी होगा।

4.4 पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौते को तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौते को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर साफ-साफ टाइप करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाद में रा.आ.बैंक की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तिथि बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए

## 5. प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रपत्र-अनुलग्नक ग में प्रस्तुत की जाएगी

## 6. निविदाएं जमा करने की विधि:

बोलियां केवल सीलबंद लिफाफों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। टेंडर कवर के तीन भाग होंगे।

- **पहला कवर - तकनीकी बोली कवर** - इस कवर में सभी पृष्ठों में विधिवत भरा हुआ और बोलीकर्ता(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन का भाग I शामिल होना चाहिए और इसमें शामिल होगा:
  - उपरोक्त बिंदु 3 (अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करना) के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजी संलग्नक।
  - उपर्युक्त बिंदु 4 (पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौता खंड) के अनुसार विधिवत भरा हुआ और मुहर लगा हुआ प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटेग्रेटी पैकट।
  - उपरोक्त बिंदु 5 (प्रतिबंधित या असूचीबद्ध बोलीदाता) के अनुसार घोषणा।

कवर को बंद और सील किया जाना चाहिए और "रांची में आवास रा.आ.बैंक के कार्यालय परिसर के आवासन हेतु तकनीकी बोली" के रूप में लिखा जाना चाहिए और कवर पर बोली लगाने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए। **बोलीदाता द्वारा इस कवर में कोई मूल्य संवेदनशील/वित्तीय विवरण प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।**

- **दूसरा कवर - वित्तीय बोली कवर** - इस कवर में इस दस्तावेज का भाग II शामिल होना चाहिए, जो सभी पृष्ठों पर बोली लगाने वाले द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह कवर बंद और सील किया जाना चाहिए और "रांची में रा.आ.बैंक के कार्यालय परिसर के आवास के लिए वित्तीय बोली" के रूप में लिखा जाना चाहिए और कवर पर बोली लगाने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए।
- **तीसरा कवर** - पहले और दूसरे दोनों कवर को तीसरे कवर में रखा जाना चाहिए और इसके ऊपर "रांची में रा.आ.बैंक कार्यालय परिसर में आवास के लिए सीलबंद बोली" लिखा होना चाहिए।
- उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्थान अपनी बोलियां सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

**श्री मुनीश भूटानी**

सहायक महाप्रबंधक

मोबाइल: +91- 8130498078

पटना क्षेत्रीय कार्यालय,

राष्ट्रीय आवास बैंक

फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स,

हार्डटेक अस्पताल के सामने, सगुना मोड़,

सगुना खगौल मेन रोड, दानापुर, पटना - 801503

## 7. चयन विधि:

क. तकनीकी बोली में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बैंक द्वारा बोली लगाने वालों की प्रारंभिक संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी। तकनीकी बोली में दस्तावेजी कमी के मामले में, बोलीदाताओं को 3 दिनों के भीतर इसे सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग उपरोक्त बिंदु 2 (आवश्यकता विवरण) में निर्दिष्ट पूर्व-अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावित परिसरों पर आधारित होगी।

ख. प्रस्तावित परिसर के स्थल निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए बैंक द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गए बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। निरीक्षण दल बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तावित परिसर की उपयुक्तता का पता लगाएगा, जैसे प्रस्तावित स्थल का इलाका, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्र, कनेक्टिविटी (हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन,

सड़कें आदि), पार्किंग स्थान, सुविधाएं और अन्य प्रदान की गई सुविधाएं (जैसे लिफ्ट, पावर बैक-अप आदि) और इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अन्य आवश्यक आवश्यकताएं।

ग. उपरोक्त बिंदु (क) एवं (ख) के तहत निष्कर्षों के आधार पर, पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने के लिए एक अंतिम शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से चुने गए बोलीदाताओं को बैंक द्वारा वित्तीय बोलियां खोलने के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

## **8. अन्य नियम एवं शर्तें:**

क) बोलीकर्ता(ओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बोली बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त हो जाती है एवं डाक या किसी भी प्रकार की देरी के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी और निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

ख) रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं तकनीकी रूप से उपयुक्त बोलीदाताओं को आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

ग) रा.आ.बैंक सबसे कम या किसी एक या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं किसी भी बोली को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई प्रस्ताव रा.आ.बैंक द्वारा तय की गई आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो बैंक उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, भले ही वह एल1 प्रस्ताव हो।

घ) केवल बिना शर्त बोली स्वीकार की जाएगी। कोई भी सशर्त बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी। वित्तीय निहितार्थ वाली कोई भी शर्त लगाने के इच्छुक बोलीदाता को इस दस्तावेज़ की वित्तीय बोली (भाग II) को उचित रूप से लोड करना चाहिए एवं अपनी बोली में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए।

ङ) संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम है।

च) विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा एवं दिल्ली में अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

छ) अलग-अलग बोलियां प्रस्तुत की जाए, यदि एक ही बोलीदाता द्वारा एक से अधिक संपत्ति की पेशकश की जाती है।

ज) परिसर अधिमानतः फ्रीहोल्ड होगा। यदि यह पट्टे पर दिया है, तो पट्टे की अवधि, पट्टा समझौते की प्रति, प्रारंभिक प्रीमियम और बाद के किराए से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और सब-लीजिंग की अनुमति स्थापित की जाएगी (ऐसे दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जाएंगी)

झ) **पट्टे की अवधि:** राष्ट्रीय आवास बैंक एकल पट्टा करार के तहत 9 वर्ष की अवधि के लिए परिसर को पट्टे पर लेगा। किराए के भुगतान के प्रयोजन के लिए, 9 साल की अवधि को 3 साल की 3 शर्तों में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि नीचे पैरा एल) में बताया गया है।

ज) वित्तीय बोली में उद्धृत की जाने वाली दरें: बोलीदाताओं को वित्तीय बोली में कुल मासिक किराए की राशि का उल्लेख करना होगा (वित्तीय बोली में कॉलम (6) - इस दस्तावेज़ का भाग II)। यह स्पष्ट रूप से नोट किया जा सकता है कि उद्धृत कुल मासिक किराया (वित्तीय बोली - इस दस्तावेज़ के भाग II में कॉलम (6)) में सभी समाजिक व्यय / सामान्य रखरखाव शुल्क, संपत्ति कर, या किसी भी प्रकार का कोई अन्य शुल्क जो संपत्ति पर लागू है / हो जाता है। समाजिक/रखरखाव/संपत्ति कर आदि में किसी भी बदलाव के बावजूद किसी अवधि के लिए उद्धृत/लागू कुल मासिक किराया उस विशेष अवधि के लिए समान रहेगा। उद्धृत किया जाने वाला किराया किराए पर लागू जीएसटी को छोड़कर होगा। रा.आ.बैंक मालिक को किराए की राशि पर जीएसटी (लागू दरों पर) का भुगतान करेगा। रा.आ.बैंक द्वारा कोई अन्य राशि देय नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जा सकता है कि मालिकों को किराए का भुगतान करते समय, रा.आ.बैंक टीडीएस काट कर भुगतान करेगा (यथावत लागू)।

ट) पानी और बिजली शुल्क वास्तविक खपत के आधार पर बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

ठ) मानक किराया वृद्धि खंड: रा.आ.बैंक 9 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा करार करेगा। किराए के भुगतान के उद्देश्य से, 9 साल की लीज अवधि को 3 साल की 3 शर्तों में विभाजित किया जाएगा। पहले 3 साल की अवधि समाप्त होने के बाद, 3 साल की दूसरी अवधि के लिए कुल मासिक पट्टा किराया पहले 3 साल की अवधि के लिए कुल मासिक पट्टा किराए से 15% अधिक बढ़ जाएगा। तीसरे टर्म का 3 साल का किराया तय करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

ड) निविदा का मूल्यांकन - एल-1 का निर्धारण: बोली लगाने वाले ने न्यूनतम कुल मासिक किराया (वित्तीय बोली में कॉलम (6) - इस दस्तावेज़ के भाग II) को उद्धृत किया है, उसे एल-1 बोलीदाता माना जाएगा।

ढ) पट्टा समझौते की समाप्ति: रा.आ.बैंक द्वारा केवल लीज एग्रीमेंट की कुल अवधि (9 वर्ष) के दौरान 4 महीने का नोटिस देकर लीज एग्रीमेंट को समाप्त किया जा सकता है। पट्टेदार पट्टा समझौते को समाप्त नहीं कर सकता।

ण) रा.आ.बैंक द्वारा मालिकों को मासिक किराए का भुगतान: किराए का भुगतान मालिक द्वारा उत्पन्न चालान के आधार पर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।

इ) संपत्ति के उपयोग के विरुद्ध वापसी योग्य सुरक्षा जमा: रा.आ.बैंक सुरक्षा जमा (बिना ब्याज वाले) के लिए समझौते के पंजीकरण के समय सफल बोलीदाता (मालिकों) के पास अधिकतम 3 महीने के किराए के बराबर राशि जमा करेगा। पट्टा अवधि समाप्त होने या पट्टे की पूर्व-समाप्ति, जो भी पहले हो, के बाद जमानत राशि रा.आ.बैंक को वापस कर दी जाएगी।

ढ) पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन: सफल बोलीदाता के अंतिम रूप देने के बाद, बैंक के मानक लीज प्रारूप के अनुसार लीज डीड निष्पादित की जाएगी और इसे उपयुक्त अधिकारियों के पास पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क मकान मालिक और बैंक द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

आर) इस बोली प्रक्रिया के संबंध में कोई शुद्धिपत्र/संशोधन/स्पष्टीकरण/विस्तार/परिवर्तन केवल बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर पोस्ट किया जाएगा।

**भाग II (तकनीकी बोली)**  
(वित्तीय बोली हेतु प्रोफार्मा)

सेवा में,  
क्षेत्रीय प्रबंधक  
सहायक महाप्रबंधक  
पटना क्षेत्रीय कार्यालय,  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
फ्लैट नंबर 302 और 303, शांति कॉम्प्लेक्स,  
हाईटेक अस्पताल के सामने, सगुना मोड़,  
सगुना खगौल मेन रोड, दानापुर, पटना – 801503

**संदर्भ: रांची में कार्यालय परिसर के लिए वित्तीय बोली**

महोदय,

स्थित परिसर के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली के क्रम में

.....

मैं/हम एतद्द्वारा निम्नलिखित के अनुसार पट्टे/किराये के आधार पर परिसर की पेशकश करते हैं:

क्र. सं.	वर्ग फुट में कुल कालीन क्षेत्र	कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फुट किराया	अतिरिक्त शुल्क (यदि कोई हो) प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया	कारपेट एरिया के प्रति वर्ग फुट की कुल दर	कुल मासिक किराया* (रुपये में प्रति माह देय)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6) = (2) X (5)

\* उपरोक्त कुल मासिक किराया (उपरोक्त कॉलम (6)) में सभी समाज व्यय / सामान्य रखरखाव शुल्क, संपत्ति कर, या किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क शामिल हैं जो संपत्ति पर लागू होते हैं / हो जाते हैं।

ऊपर उद्धृत कुल मासिक किराया जीएसटी को छोड़कर होना चाहिए। रा.आ.बैंक समय-समय पर लागू जीएसटी दर के अनुसार मासिक किराए पर जीएसटी का भुगतान करेगा।

भवदीय,

नाम .....

स्थान: .....

दिनांक: .....

### अनुबंध

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

अन्य अनुबंधों हेतु निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) में What's New हेड पर उपलब्ध है।

*\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।*

**XXX**